भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–21/2018–19

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

मदन टुडू, पिता–गालु टुडू एवं अन्य 05 ..... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़) एवं अन्य 03.....विपक्षी

क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
01.09.2020	यह नामान्तरण अपील वाद अपीकर्त्ता मदन टुडू, (2) बारियार टुडू (3) कुनाराम टुडू, सभी के पिता स्व0 गालु टुडू, ग्राम लाटिया मदनटोला, पो0 बादिया, थाना मुसाबनी, (4) लाल मोहन टुडू, (5) मागात टुडू, दोनों के पिता स्व0 बास्ता टुडू एवं (6) चन्द्र मोहन संथाल उर्फ टुडू, ग्राम दुलियापाड़ा पो0 कोकपाड़ा, थाना धालभूमगढ़, जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदुपर ने राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़), (2) चाम्पा मार्डी पति छोटा सुबदा मार्डी, ग्राम बिहिन्दा, थाना धालभूमगढ़ (3) बासी मुर्मू, पति स्व0 रागी मुर्मू, ग्राम भैरवपुर, थाना धालभूमगढ़ (4) सुमी हाँसदा, पति नरसिंह हाँसदा ग्राम चन्दनपुर, थाना श्यामसुन्दरपुर (5) जामुना मार्डी, पति श्री जादुनाथ मार्डी, पिता स्व0 स्वरूप संथाल, ग्राम पुखुरिया पो0 पिताजुड़ी, थाना श्यामसुन्दरपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या 173/1994–95 में दिनांक 04.03.1995 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा दायर अपील आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। निम्न न्यायालय का नामान्तरण मुकदमा संख्या 173/1994–95 प्राप्त है। अपीलकर्त्ता की और से अपील आवेदन के साथ वकालतनामा, नामांतरण मुकदमा की प्राप्ति रसीद एवं स्वीकृति की सूचना की छायाप्रति दाखिल किया गया है। अपील आवेदन पत्र के साथ Condonnation petition U/S-5 of Limititation Act., सत्यापित बिक्री केवाला की छायाप्रति तथा अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न किया गया है। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 173/1994–95 धालभूमगढ़ द्वारा नामान्तरण स्वीकृत की गयी। निम्न न्यायालय का नामान्तरण मुकदमा संख्या 173/1994–95 संबंधी अभिलेख प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा Limitation Act की धारा–5 के तहत दायर आवेदन पत्र पर	

सुनवाई के पश्चात इस वाद की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उन को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभि में अभिलेखबद्ध किया गया हैं। नामान्तरण शुद्विपत्र (173/1994–95) का व्यौरा निम्न प्रकार है–

मौजा	किस्म	जिसके नाम पर	थाना	खाता	प्लॉट	रकवा
दुलियापाड़ा	उत्तराधिकारी	श्रीमति चाम्पा मार्डी	417, 619	157, 158, 159, 161	1,3, 15, 17, 18, 22, 25, 230, 584,	2.94
वही	वही	श्रीमति बासी मुर्मू	417, 619	157, 158, 160, 153	265, 584, 17, 18, 28, 224, 247, 596	2.94
वही	वही	श्रीमति सारगी हाँसदा	417, 619	157, 158, 159	3, 1, 16, 584, 17, 18, 585, 23, 226	2.94
वही	वही	श्रीमति यमुना मार्डी	417, 619	157, 158, 160	1, 3, 147, 265, 584, 18, 17, 29, 30, 224, 247	2.95

अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन पत्र द्वारा बताया कि मौजा दुलियापाड़ा/खाड़बान्दा के रैयत स्वरूप संथाल के चारो बिटियाँ क्रमशः (1) चाम्पा मार्डी पति छोटा सुबदा मार्डी, ग्राम बिहिन्दा, थाना धालभूमगढ़ (2) बासी मुर्मू, पति स्व0 रागी मुर्मू, ग्राम भैरवपुर, थाना धालभूमगढ़ (3) सुमी हाँसदा, पति नरसिंह हाँसदा ग्राम चन्दनपुर, थाना श्यामसुन्दरपुर (4) जामुना मार्डी, पति श्री जादुनाथ मार्डी के नाम पर भूमि हस्तांतरण की गई जिसका नामान्तरण मुकदमा संख्या 173/1994–95 के माध्यम से नामान्तरण स्वीकृत की गई। अपीलकर्त्ता के अनुसार संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा बिना स्थल जाँच किए जाँच प्रतिवेदन जमा की गई प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ के द्वारा नामान्तरण स्वीकृति दी गई। अपीलकर्त्ता के अनुसार Costomery Low of Santhal के अनुसार संथाल समाज में विवाहित महिलाओं को उत्तराधिकारी नहीं दी जाती है। बल्कि रैयत के नजदीकी पुरूष उत्तराधिकारी को अचल संम्पत्ति का हक दिया जाता है।

नामान्तरण अपील वाद को अवलोकन किया, दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद निम्न बातें स्पष्ट होती है–

1. यह नामान्तरण वर्ष 1994–95 में उत्तराधिकार के आधार पर किया गया है।
2. नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी द्वारा उचित प्रक्रिया अपनाई गई है।
3. वाद में बासी मुर्मू, पति स्व0 रागी मुर्मू जिनकी मृत्यु हो चुकी थी को

प्रतिवादी बनाया गया है।

4. यह नामान्तरण वर्ष 1994–95 में हुआ और इसके विरूद्व न्यायालय में वर्ष 2019–20 में अपील दायर किया गया है।
5. प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी पक्ष का दखल कब्जा है जैसा कि नामान्तरण वाद में उल्लैख है एवं संबंधित भूमि का लगान भी भुगतान किया जा रहा है।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरण सही है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजात तथा विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात न्यायालय का अभिमत है कि प्रासंगिक नामान्तरण मुकदमा संख्या–173/1994–95 धालभूमगढ़ का पारित आदेश सही हैं। अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार मुल अभिलेख अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ को वापस भेजें।

विधि व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–01/09/2020 को पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

01/09/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

01/09/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।